सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत खरेश

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/181** दायरा दिनांक **10.07.2017**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. गजेन्द्रसिंह पुत्र आन्नदसिंह 2. भूपेन्द्रसिंह पुत्र आन्नदसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी खरेश तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान	बनाम्	1. आन्नदसिंह दत्तक पुत्र चतरसिंह 2. सम्पतसिंह पुत्र शिम्भुसिंह 3. पृथ्वीसिंह पुत्र शिम्भुसिंह 4. दुर्गासिंह पुत्र झब्बरसिंह 5. नोरंगसिंह पुत्र झब्बरसिंह 6. संदीपसिंह पुत्र झब्बरसिंह 7. विरुसिंह पुत्र मंगलसिंह नाबालिक जरियें कुदरती माता नत्थूकंवर 8. बिजेन्द्रसिंह पुत्र मंगलसिंह नाबालिक जरियें कुदरती माता नत्थूकंवर 9. नत्थूकंवर पत्नि मंगलसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी खरेश तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। 10. सज्जनदेवी पत्नि किशनाराम 11. सुगनादेवी पत्नि पेमाराम समस्त जाति जाट निवासी खरेश तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। 12. ओकारमल पुत्र निम्बाराम 13. बलदेवराम पुत्र निम्बाराम 14. खीवाराम पुत्र निम्बाराम 15. सिणजारीमल पुत्र निम्बाराम 16. प्रहलाद पुत्र अर्जुनराम 17. हरीराम पुत्र अर्जुनराम 18. श्रीमति शान्ति बैवा अर्जुनराम समस्त जाति जाट निवासी बकवास तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। 19. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित–

1. वादीगण उपस्थित ।
2. प्रतिवादीगण सं0 01, उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 14.06.2018

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है किं वादीगण व प्रतिवादी आन्नदसिंह पिता–पुत्र है।जिनकी पैतृक सम्पति की भूमि वाके शरहद खरेश खसरा नम्बर 417 रकबा 09 बीघा 01 बिस्वा ख. न. 497 रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा ख. न. 498 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा कुल रकबा 22 बीघा 05 बिस्वा एवम् ख. न. 294 रकबा 42 बीघा 13 बिस्वा ख. न. 312 रकबा 05 बिस्वा गैर मु. बेरा ख. न. 313 रकबा 26 बीघा 08 बिस्वा ख. न. 344 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा ख. न. 365 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा ख. न. 414 रकबा 04 बिस्वा ख. न. 415 रकबा 03 बिस्वा ख. न. 416 रकबा 07 बिस्वा ख. न. 92 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 89 बीघा 05 बिस्वा भूमि है।जो वादीगण के पिता आन्नदसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।इन खसरान के अलावा वाके सरहद खरेश खेत ख. न. 281 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन बैरा एवम् ख. न. 282 रकबा 42 बीघा 05 बिस्वा कुल रकबा 42 बीघा 10 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता आन्नदसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।उक्त खेताय की वर्तमान राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद के साथ प्रस्तुत है।

वादीगण के दादा चतरसिंह के नाम वादित भूमि राजस्व रेकर्ड मे रही है।मगर वादीगण व प्रतिवादी आन्नदसिंह का वादित खसरान का पैत्रिक सम्पति की होने के कारण जन्म से हक व अधिकार है।मौके पर वादित खसरान का बन्टवारा भी कर रखा है।जो निम्न प्रकार है।

(क) वादी गजेन्द्रसिंह के खातेदारी व बन्ट की भूमि निम्न है:–

खसरा नम्बर 497 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा यानि 02 बीघा 08 बिस्वा पूर्वी हिस्सा

खसरा नम्बर 294 रकबा 42 बीघा 13 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा यानि 21 बीघा 07 बिस्वा पूर्वी हिस्सा

खसरा नम्बर 492 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा सम्पुर्ण

खसरा नम्बर 281 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन बैरा मे से 1/2 हिस्सा मे से 1/2हिस्सा यानि 01 बिस्वा 10 बिस्वांसी

खसरा नम्बर 282 रकबा 42 बीघा 05 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा मे से 1/2 हिस्सा यानि 10 बीघा 11 बिस्वा 10 बिस्वांसी दक्षिणी हिस्सा कुल रकबा 40 बीघा 19 बिस्वा

(ख) वादी भूपेन्द्रसिंह के खातेदारी व बन्ट की भूमि निम्न है:–

खसरा नम्बर 497 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा यानि 02 बीघा 08 बिस्वा पश्चिमी हिस्सा

खसरा नम्बर 498 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा सम्पुर्ण

खसरा नम्बर 294 रकबा 42 बीघा 13 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा यानि 21 बीघा 06 बिस्वा पश्चिमी हिस्सा

खसरा नम्बर 281 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन बैरा मे से 1/2 हिस्सा मे से 1/2हिस्सा यानि 01 बिस्वा

खसरा नम्बर 282 रकबा 42 बीघा 05 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा मे से 1/2 हिस्सा यानि 10 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 42 बीघा 14 बिस्वा

(ग)प्रतिवादी आन्नदसिंह के बन्ट व कब्जे काशत की भूमि निम्न है:–

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 417 रकबा 09 बीघा 01 बिस्वा सम्पुर्ण
खसरा नम्बर 312 रकबा 05 बिस्वा सम्पुर्ण
खसरा नम्बर 313 रकबा 26 बीघा 08 बिस्वा सम्पुर्ण
खसरा नम्बर 344 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा सम्पुर्ण
खसरा नम्बर 365 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा सम्पुर्ण
खसरा नम्बर 414 रकबा 09 बीघा सम्पुर्ण
खसरा नम्बर 415 रकबा 03 बिस्वा सम्पुर्ण
खसरा नम्बर 416 रकबा 07 बिस्वा सम्पुर्ण

उपरोक्त अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण आन्नदसिंह अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं। मगर अभी तक विधिवत बन्टवारा नही हुआ है, इसलिए वादीगण को पैतृक सम्पति की भूमि पर विधिवत बन्टवारा व घोषणा खातेदारी का दावा करना लाजमी आया है

वादग्रस्त भूमि पर वादीगण अपने हिस्से पर काश्त करते आये है, मगर राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम नही होने से प्रतिवादी संख्या एक ने दिनाकं 02.07.2017 को एलानियॉ धमकी दी की इस वर्ष तो काश्त कर ली आयन्दा काश्त करने नही देगे।यदि वादी को उसके जायज हिस्से से बेदखल कर दिया तो वादी को अपार हानि होगी जिसकी क्षतिपुर्ति नगदी से सम्भव नही होगी।इसलिए वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा का वाद करना लाजमी आया है

प्रार्थना वादी है कि

वाके शरहद खरेश खेत ख. न. 417, 497, 498, 394, 312, 313, 344, 365, 414, 415, 416, 492, 281, 282 का विधिवत बन्टवारा कर वाद के पद संख्या 02 के अनुसार वादीगण को खातेदार घोषित किया जावें।

प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि वह भविष्य में वादी के हिस्से मे न तो स्वयं दखल करे न ही अपने प्रतिनिधी ऐजेन्ट आदि से करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 19 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 04.01.2018 को वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 01, ने राजीनामा पेश किया राजीनामा की इबारत पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गई जिसे पक्षकरान् द्वारा बिना किसी लालच या दबाव के सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री अजीतसिंह राठौड ने की व प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री विश्वनाथ प्रताप सिह ने की। अतः बख्वाहिश राजीनामा पक्षकारान् तस्दीक किया गया।

बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया। अतः पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादीगण का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

:—आदेश—:

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, वाके शरहद खरेश खेत ख. न. 417, 497, 498, 394, 312, 313, 344, 365, 414, 415, 416, 492, 281, 282 उपरोक्त खेतो की खातेदारी राजीनामा के अनुसार घोषित की जाती है उपरोक्त खेतो का बन्टवारा राजीनामा के अनुसार कर वाद डिक्री किया जाता है। राजीनामा, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 को कोर्ट कैम्प खरेश में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत खरेश
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2017/181 दायरा दिनांक 10.07.2017

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. गजेन्द्रसिंह पुत्र आन्नदसिंह 2. भूपेन्द्रसिंह पुत्र आन्नदसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी खरेश तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान	बनाम्	1. आन्नदसिंह दत्तक पुत्र चतरसिंह 2. सम्पतसिंह पुत्र शिम्भुसिंह 3. पृथ्वीसिंह पुत्र शिम्भुसिंह 4. दुर्गसिंह पुत्र झब्बरसिंह 5. नोरंगसिंह पुत्र झब्बरसिंह 6. संदीपसिंह पुत्र झब्बरसिंह 7. विरूसिंह पुत्र मंगलसिंह नाबालिक जरियें कुदरती माता नत्थूकंवर 8. विजेन्द्रसिंह पुत्र मंगलसिंह नाबालिक जरियें कुदरती माता नत्थूकंवर 9. नत्थूकंवर पत्नि मंगलसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी खरेश तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। 10. सज्जनदेवी पत्नि किशनाराम 11. सुगनादेवी पत्नि पेमाराम समस्त जाति जाट निवासी खरेश तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। 12. ओकारमल पुत्र निम्बाराम 13. बलदेवराम पुत्र निम्बाराम 14. खीवाराम पुत्र निम्बाराम 15. सिणजारीमल पुत्र निम्बाराम 16. प्रहलाद पुत्र अर्जुनराम 17. हरीराम पुत्र अर्जुनराम 18. श्रीमति शान्ति बैवा अर्जुनराम समस्त जाति जाट निवासी बकवास तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। 19. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक 14.06.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री,वादी उपस्थित व प्रतिवादीगण सं0 01 उपस्थित । मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि–

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, वाके शरहद खरेश खेत ख. न. 417, 497, 498, 394, 312, 313, 344, 365, 414, 415, 416, 492, 281, 282 उपरोक्त खेतो की खातेदारी राजीनामा के अनुसार

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

घोषित की जाती है उपरोक्त खेतो का बन्टवारा राजीनामा के अनुसार कर वाद डिक्री किया जाता है। राजीनामा, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–............... बाबत.................. ..–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 14.06..2018 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			थमजान		

नोट:–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner